फर्द अहकाम

शंकर लाल बनाम गुल्लाराम वगै0

प्रार्थना पत्र संख्या: प्रा/अ/TE 134/2020

क्रम संख्या	दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	27.08.2020	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वय का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियॉ पेश की है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर। उभयपक्षकारान को जवाब प्रार्थना पत्र पेश होने तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम केश्यावाला, पटवार हल्का मुहाना, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर हाल 111 से 114, 115/1, 116/1, 116/2, 117/1, 118/1, 119/1, 133, 134, 135, 137, 142, 145 कुल किता 16 कुल रकबा 2.68 हैक्टेयर सहखातेदारी की भूमि में अवैध रूप से निर्माण नहीं करे। कोई आपत्ति हो तो हाजिर अदालत होकर पेश करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तलवी अप्रार्थीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर दिनांक 30.09.2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी सांगानेर, जयपुर (द्वितीय)	रजि. नोटिस जारी 1995 to 1997 27/8/20
	25.9.20	[illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	[illegible] identified 25/9/20

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:25:18 IST
Reason: SelfAttested